



-प्रेस नोट-

दिनांक: 16.05.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द पुलिस द्वारा "बाद पुलिस मुठभेड" अन्तर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 01 घायल बदमाश सहित कुल 03 अन्तर्राज्यीय वाहन चोर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 स्कूटी व 02 तमंचे 315 बोर, 02 जिंदा व 02 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद तथा अभियुक्तगण की निशानदेही पर चोरी की 09 मोटरसाइकिल, 04 मोटरसाइकिल के कटे हुए चैसिस, वाहनों को काटने/खोलने के उपकरण बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की धरपकड हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन चैकिंग/गश्त की जा रही है। दिनांक 15/16.05.2025 की मध्यरात्रि में थाना प्रभारी देवबन्द मय पुलिस टीम के साथ सुल्तानपुर नहर पुलिया पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चैकिंग कर रहे थे, तभी ग्राम भनेडा की तरफ से एक स्कूटी आती दिखाई दी जिसमें दो व्यक्ति सवार थे जिसे संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस टीम द्वारा रुकने का इशारा किया तो वह नहीं रुके तथा स्कूटी सवार बदमाश पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर करते हुए स्कूटी को वापस मोडकर ग्राम भनेडा की तरफ भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा बदमाशों का पीछा किया गया तो हडबडाहट में तेज रफ्तार में स्कूटी मोडते समय बदमाशों की स्कूटी फिसलकर गिर गई। स्कूटी छोड़कर पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से दूसरा फायर करते हुए भागने लगे, पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में 01 बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगने से घायल हो गया तथा दूसरा बदमाश अन्धेरे व जंगल का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। फरार बदमाश को कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किया। घायल/गिरफ्तार बदमाश की पहचान **सफान पुत्र आरिफ निवासी मौहल्ला पठानपुरा कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर** एवं दूसरे गिरफ्तार बदमाश की पहचान **शहनवाज पुत्र हनीफ निवासी मौहल्ला निचलगढ कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर** के रूप में हुयी। घायल बदमाश सफान उपरोक्त को प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल मे भर्ती कराया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तगण सफान व शहनबाज उपरोक्त के कब्जे से 02 तमंचा 315 बोर, 02 जिंदा/02 खोखा कारतूस 315 बोर, व 01 स्कूटी रजि न0- DL-85CH-4591 बरामद। अभियुक्तगण सफान व शहनवाज उपरोक्त शातिर किस्म के वाहनचोर अपराधी है। अभियुक्त शाहनवाज की निशादेही पर **अभियुक्त 3.अजीम पुत्र अख्तर निवासी मौ0 पठानपुरा बेरियान कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर** को चोरी की गयी 09 मोटरसाइकिल, 04 मोटरसाइकिल के कटे हुए चैसिस व मोटरसाइकिल काटने/खोलने के उपकरण सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से थाना देवबन्द पर पंजीकृत मु0अ0सं0 286/2025 धारा 303(2) बी0एन0एस0, मु0अ0सं0 287/2025 धारा 303(2) बी0एन0एस0, मु0अ0सं0 288/2025 धारा 303(2) बी0एन0एस0 व मु0अ0सं0 289/2025 धारा 303(2) बी0एन0एस0 आदि मुकदमों का सफल अनावरण किया गया। बरामदगी के आधार पर थाना देवबन्द पर पूर्व में पंजीकृत उपरोक्त मुकदमों में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तारी व फर्द बरामदगी के आधार पर थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0 293/25 धारा 3(5)/111/317(2)/317(5)/318(4)/336(2) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट में पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता -

(1)सफवान पुत्र आरिफ निवासी पठानपुरा कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

(2)शहनवाज पुत्र हनीफ निवासी मौ0 नेचलगढ कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

(3)अजीम पुत्र अख्तर निवासी मौ0 पठानपुरा बेरियान कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

- 02 देशी अवैध तमंचे 315 बोर
- 02 जिंदा कारतूस 315 बोर
- 02 खोखा कारतूस 315 बोर
- 01 मोटरसाइकिल प्लेटिना रंग काला HR01V1239 (थाना देवबंद मु0अ0स0 289/25 धारा 303(2) बीएनएस)
- 01 मोटरसाइकिल केवल चैसिस न0 MBLHA11EE99F08231 पार्ट्स एक टंकी रंग काला, एक चैचीस, एक सीट रंग काला, एक सलेसर रंग सिलवर, एक मरगाड प्लास्टिक, एक टायर, खुदा बुद्धा इंजन जिस पर HAEA99F20547 खुदा हुआ (थाना देवबंद से चोरी मु0अ0स0 286/25 धारा 303(2) बीएनएस)
- 01 चैसिस कटी हुई लम्बाई लगभग ढाई अंगुल 05M16C51504 3 एक कटी हुई चैसिस लम्बाई 01 अंगुल 05 बालिस्ट चैसिस न0 MBLHA10CGGHD02820 (थाना देवबंद से चोरी मु0अ0स0 287/25 धारा 303(2) बीएनएस)
- 01 मोटरसाइकिल के चैसिस न0 व इंजन न0 ई चालान एप पर देखकर थाना कार्यालय देवबन्द से उक्त चैसिस न0 व इंजन न0 के सम्बन्ध में जानकारी की गयी तो मोटरसाइकिल का कटा हुआ चैसिस न0 पार्ट्स एक टंकी रंग काला (थाना देवबंद से चोरी मु0अ0स0 288/25 धारा 303(2) बीएनएस)
- 01 मोटरसाइकिल TVS Radcon न0 DL8SCR9291 रंग काला (दिल्ली से चोरी थाना मंदिर मार्ग पर मु0अ0स0 8656/25 धारा 303(2) बीएनएस)
- 01 मोटरसाइकिल HR54F1883 (थाना यमुनानगर से चोरी मु0अ0स0 53/25 धारा 303(2) बीएनएस)
- 01 मोटरसाइकिल स्पलेण्डर प्लस रंग सिलवर बिना नम्बर
- 01 मोटरसाइकिल Splender plus रंग काला UP19T7538
- 01 मोटरसाइकिल बिना नम्बर Hero Splender रंग काला
- 01 मोटरसाइकिल बिना नम्बर Hero Splender Plus रंग सिलवर
- 01 मोटरसाइकिल बिना नम्बर Hero Splender Plus रंग सिलवर
- 01 मोटरसाइकिल बिना नम्बर Hero Splender Plus रंग काला (कटी हुयी मोटरसाइकिल)
- 01 चैसीस न0 05M16C51504 व सामान कटा हुआ
- मोटरसाइकिल के पार्ट/सामान (01 स्टेरिंग कटा हुआ, 08 मोटरसाइकिल सोकर रोड रंग सिलवर, अगले 06, पीछले सोकर 04 रंग काला , 05 मोटरसाइकिल की चैन, 03 सलेंसर, 01 टंकी , 05 टायर, 02 पुराने रीम सिलवर कलर)
- मोटरसाइकिल काटने व खोलने का सामान (24 छोटी बडी चाबी लोहा, 02 पिलास, 02 हथोडी)

पूछताछ का विवरण –अभियुक्त शहनवाज उपरोक्त व अजीम उपरोक्त को विश्वास में लेकर व थाना हवालात के गैट पर बैठकर पूछताछ की गयी तो पूछने पर दोनो अभियुक्तगणो ने एक राय होकर बताया कि हम दोनो व हमारा तीसरा साथी साफवान जो घायल है, के साथ मिलकर देवबन्द व आस पास के जिलो व राज्यो से मोटरसाइकिल

चोरी करके लाते हैं तथा पुलिस से बचने के लिए उन मोटरसाईकिलो पर लगी नम्बर प्लेटो को बदलकर दूसरे नम्बरो की प्लेट लगा देते हैं तथा चोरी की मोटरसाईकिलो को ग्राम बास्तम सुल्तानपुर में नहर वायी के पुरानी खण्डर बिल्डिंग में छुपा कर खडी कर देते हैं तथा बेच देते हैं जो मोटरसाईकिल हम बेच नहीं पाते हैं उसे वही पर काटकर छोटे छोटे पार्टों में अलग कर देते हैं जिन्हे हम चलते फिरते लोगो व कटे पार्टसो को चलते फिरते कबाडियों को कबाडे में बेच देते हैं हम लोगो से बरामद मोटरसाईकिलो में से चार मोटरसाईकिल हम तीनो ने मिलकर कस्बा देवबन्द से कुछ समय पहले अलग अलग स्थानो से चोरी की थी जिनमें से हम लोगो ने दो मोटरसाईकिलो को काटकर टुकडे कर दिये हैं तथा दो मोटरसाईकिलो को अभी काटा या बेचा नहीं गया था तथा शेष मोटरसाईकिले हमने दिल्ली हरियाणा व आस पास के जिलो से चोरी की थी जो हमने छुपा कर खडी कर रखी थी चोरी की मोटरसाईकिलो व मोटरसाईकिलो के पार्टसो को बेचकर जो पैसा मिलता था उस पैसे को हम तीनो आपस में बाँट लेते हैं तथा हम अपनी सुरक्षा के लिए अपने पास अवैध तम्नचे भी रखते हैं आज रात्रि में हम लोग मोटरसाईकिलो व मोटरसाईकिलो के पार्टसो को बेचने की फिराक में थे कि पुलिस वाले रास्ते में मिल गये थे फिर मैने (शहनवाज) व साफवान ने अपने बचाव मे पुलिस वालो पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी थी पुलिस वालो ने मुझे व साफवान को वही मौके पर पकड लिया था ।

आपराधिक इतिहास अभि0 सफवान-

- 1.मु0अ0स0 257/20 धारा 379/411 भादवि मे चालनी थाना कुतुबशेर स0पुर
- 2.मु0अ0स0 286/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना देवबंद स0पुर
- 3.मु0अ0स0 287/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना देवबंद स0पुर
- 4.मु0अ0स0 288/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना देवबंद स0पुर
- 5.मु0अ0स0 289/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना देवबंद स0पुर

आपराधिक इतिहास अभि0 शहनवाज-

- 1.मु0अ0स0 286/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना देवबंद स0पुर
- 2.मु0अ0स0 287/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना देवबंद स0पुर
- 3.मु0अ0स0 288/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना देवबंद स0पुर
- 4.मु0अ0स0 289/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना देवबंद स0पुर

आपराधिक इतिहास अभि0 अजीम-

- 1.मु0अ0स0 286/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना देवबंद स0पुर
- 2.मु0अ0स0 287/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना देवबंद स0पुर
- 3.मु0अ0स0 288/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना देवबंद स0पुर
- 4.मु0अ0स0 289/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना देवबंद स0पुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 श्री विकास चारण थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री नरेन्द्र भडाना थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री रविन्द्र कसाना थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
4. है0का0 158 जितेन्द्र सिंह थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
5. है0का0 561 समीम अहमद थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
6. है0का0 794 अरुण सौलंकी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
7. का0 2334 रवि कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
8. का0 2107 रवि राठी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक -16.05.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त को किया गया
गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 16.05.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा 01 वांछित **अभियुक्त सद्दाम पुत्र अब्दुल रहमान निवासी ग्राम हलगोया थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर** को सम्बन्धित मु0अ0स0 84/25 धारा-333/64(1)/62/115(2)/352/351(3) BNS में बडगांव से हलगोया रोड से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

सद्दाम पुत्र अब्दुल रहमान निवासी ग्राम हलगोय थाना रामपुर मनि0 स0पुर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त आयुष चौहान उपरोक्त:-

1. मु0अ0सं0—112/22 धारा—379/411 भादवि थाना बडगांव रामपुर मनि0 स0पुर।
2. मु0अ0सं0—21/17 धारा—392/411 भादवि थाना रामपुर मनि0 स0पुर।
3. मु0अ0स0 - 84/25 धारा-333/64(1)/62/115(2)/352/351(3) BNS थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर।
4. मु0अ0स0- 431/2024 धारा 305(A), 317(2), 331(4) बी0एन0एस0 थाना रामपुर मनि0 सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 श्री सुभाष चन्द थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 968 अरविन्द धामा थाना रामपुर मनि0 स0पुर।



दिनांक: 16.05.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के मुकदमें में वांछित गैंग लीडर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 16.05.2025 को वादी प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्र सैन सैनी थाना कोतवाली देहात की सूचना पर गौकशी करने वाले शातिर अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में मु0अ0सं0 167/2025 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम के पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण, वांछित/वारण्टी/गैंगस्टर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 16.05.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में 01 वांछित **अभियुक्त सलमान पुत्र दिलशाद निवासी ग्राम मढ थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर** को नाजिरपुरा मारुती गैराज के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

सलमान पुत्र दिलशाद निवासी ग्राम मढ थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

अभियुक्त सलमान का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 196/2024 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 523/2021 बारा 323/452/504/506 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री भीमप्रकाश थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 526 सनोवर ताज थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
3. है0का0 207 दिनेश कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 16.05.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी, सहारनपुर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के मुकदमें में 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, निंशादेही पर घटना में प्रयुक्त 01 बलकटी बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 03.05.2025 को वादी बचन सिंह पुत्र नेकी राम निवासी ग्राम कैलाशपुर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बावत अभियुक्त रजत पुत्र विनोद निवासी कैलाशपुर थाना गागलहेडी सहारनपुर द्वारा वादी की पत्नी संगीता के उपर गंडासे से हमला करना, गाली गलौज कर मारपीट करना तथा जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना गागलहेडी पर मु0अ0स0 75/2025 धारा 352/351(2)/118(2)/115(2) भारतीय न्याय संहिता पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर उपरोक्त घटना में शामिल अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सुरेश कुमारके कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 16.05.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना गागलहेडी पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग के दौरान मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **रजत पुत्र विनोद निवासी कैलाशपुर थाना गागलहेडी सहारनपुर** को ग्राम कैलाशपुर से उसके घर से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 गंडासा(बलकटी) बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 109 बीएनएस व 04/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि कुछ दिन पहले मेरा मेरे ही गाँव के रहने वाले एक व्यक्ति से किसी बात को लेकर आपस में कहा सुनी हो गयी थी जिससे क्रोधित होकर मैंने उसकी पत्नी पर बलकटी से वार किया जिस कारण उसके हाथ में चोट लग गयी। फिर मैं वहाँ से भाग गया था। आज जब पुलिस ने मुझे मेरे घर से पकड़ा तो मैंने उपरोक्त घटना में प्रयुक्त बलकटी को जिसे मैंने अपने ही घर में छिपा रखा था को पुलिस को बरामद करा दिया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

रजत पुत्र विनोद निवासी कैलाशपुर थाना गागलहेडी सहारनपुर

बरामदगी का विवरण -

➤ 01 बलकटी (घटना में प्रयुक्त)

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री सुरेश कुमार थाना गागलहेडी सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री राशिद खा सूरी थाना गागलहेडी सहारनपुर
3. है0का0 716 राकेश राणा थाना गागलहेडी सहारनपुर
4. का0 1755 अनुज कुमार थाना गागलहेडी सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 16.05.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना नांगल पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर चोर /अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का माल व 230/- रुपये नगद बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 10.05.2025 को वादिया अधीक्षक श्रीमती दीपीका पीएचसी कोटा ब्लॉक बलियाखेड़ी की लिखित तहरीर बावत अज्ञात चोर द्वारा पीएचसी कोटा में कमरे में लगी खिडकी तोडकर स्विच बोर्ड, बिजली के तार आदि समान चुरा ले जाने के सम्बन्ध में थाना नांगल पर मु0अ0स0 130/25 धारा 305(ए) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर चोरी के माल की बरामदगी व घटना में शामिल अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नांगल श्री रमेश चन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 16.05.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना नांगल पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध वाहन/व्यक्ति चैकिंग के दौरान अभियुक्त **अमित पुत्र हुकम सिंह निवासी ग्राम पेलियो थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर** को ग्राम सीडकी से कोटा को जाने वाले रास्ते के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से चोरी का माल जिसमें (07 चटकनी, 02 सोकेट, 03 खाली स्विच बोर्ड, 01 टूटा हुआ बोर्ड जिसमें एक सोकेट लाल डोरी (करीब 06 बालिस्त) व एक सफेद डोरी (करीब 05 बालिस्त) व 230/- रुपये नगद बरामद हुए। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2)/331(4) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ व नशा करने का आदि हूँ। मुझे अक्सर पैसों की कमी का सामना करना पड़ता है। अधिक पैसे कमाने व अपनी नशे की लत को पूरा करने के लिये मैं बंद पड़े मकान से चोरी करता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने पीएचसी कोटा से बिजली का सामान चोरी किया था जिसे मैं आज बेचने जा रहा था की तभी पुलिस ने मुझे पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. अमित पुत्र हुकम सिंह निवासी ग्राम पेलियो थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 07 चटकनी, 02 सोकेट, 03 खाली स्विच बोर्ड व 01 टूटा हुआ बोर्ड जिसमें एक सोकेट लगा है व लाल तथा सफेद रंग की डोरी (करीब 06 मीटर)।
- 230/- रुपये नगद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री रमेश चन्द्र सिंह थाना नांगल सहारनपुर
2. उ0नि0 विपिन मलि थाना नांगल जिला सहारनपुर
3. है0का0 509 राहुल शर्मा थाना नांगल जिला सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक- 16.05.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा बाद पुलिस मुठभेड़ 01 शातिर गौकश/हिस्ट्रीशीटर घायल सहित कुल 02 गौकश अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 तमंचे 315 बोर , 04 जिंदा/02 खोखा कारतूस 315 बोर, गौकशी के उपकरण, 01 मोटरसाइकिल बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व गौकशी की घटनाओं की रोकथाम हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन चैकिंग/गश्त की जा रही है। इसी क्रम में आज दिनांक 16.05.2025 की प्रातः थाना प्रभारी मिर्जापुर मय पुलिस टीम के गस्त/चैकिंग करते हुए ग्राम पाडली से रजवाहा तिराहा पर पहुँचे तो ग्राम नौसेरा की तरफ से मोटरसाइकिल सवार दो संदिग्ध व्यक्ति आते दिखाई दिये जिन्हे रुकने का इशारा किया गया तो नहीं रुके और तेज गति से ग्राम सिकन्दरपुर की तरफ भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा पीछा किया गया तो करीब 400-500 मीटर आगे तेज गति होने से मोटरसाइकिल अनियन्त्रित होकर फिसलकर गिर गई और दोनो बदमाशों ने बाग में पेड़ों की आड़ लेकर पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी जिस पर पुलिस टीम की आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में 01 बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। घायल बदमाश की पहचान **बुरहान पुत्र फक्कर निवासी ग्राम रायपुर थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर** के रूप में हुई तथा दूसरे बदमाश **अलीशान पुत्र फक्कर निवासी ग्राम रायपुर थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर** को आवश्यक बल प्रयोग करते हुए गिरफ्तार किया गया। घायल बदमाश को प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभियुक्तगण के कब्जे से 02 तमंचा 315 बोर, 04 जिंदा व 02 खोखा कारतूस 315 बोर, गौकशी के उपकरण व 01 मोटरसाइकिल स्पेलण्डर रजि0 नंबर –UP11 CM-1899 बरामद। **अभियुक्त बुरहान उपरोक्त थाना मिर्जापुर का प्रचलित हिस्ट्रीशीटर है।** जिसके विरुद्ध जनपद सहारनपुर के थाना मिर्जापुर/बेहट में करीब डेढ़ दर्जन मुकदमें पंजीकृत हैं। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना मिर्जापुर पर मु0अ0सं0 67/2025 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. बुरहान पुत्र फक्कर निवासी ग्राम रायपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
2. अलीशान पुत्र फक्कर निवासी ग्राम रायपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

- 01 तमंचा 315 बोर मय 01 खोखा कारतूस 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर (अभियुक्त बुरहान से)
- 01 तमंचा 315 बोर मय 01 खोखा कारतूस 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर (अभियुक्त अलीशान से)
- 01 प्लास्टिक के थैले में गौकशी के उपकरण (दो कुल्हाड़ी , दो बडे छुरे , एक छूरी व एक प्लास्टिक की रस्सी)
- 01 मोटरसाइकिल स्लैण्डर प्लस रंग काला रजि0न0 UP 11 CM 1899

अभियुक्त बुरहान उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 163/2007 धारा 307 भादवि थाना मिर्जापुर सहारनपुर

2. मु0अ0स0 164/2007 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना मिर्जापुर सहारनपुर
3. मु0अ0स0 284/2017 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट व 3/11 पशु क्रूरता अधि0 थाना बेहट सहारनपुर
4. मु0अ0स0 128/2006 धारा 307/504 भादवि थाना मिर्जापुर सहारनपुर
5. मु0अ0स0 50/2008 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना मिर्जापुर सहारनपुर
6. मु0अ0स0 19/2008 धारा 3 यूपी गुण्डा अधि0 थाना मिर्जापुर सहारनपुर
7. मु0अ0स0 64/2008 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना मिर्जापुर सहारनपुर
8. मु0अ0स0 111/2009 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना मिर्जापुर सहारनपुर
9. मु0अ0स0 125/2009 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना मिर्जापुर सहारनपुर
10. मु0अ0स0 43/2014 धारा 379/392 भादवि थाना बेहट सहारनपुर
11. मु0अ0स0 130/21 धारा 147/325/504/452/506325/307 भादवि थाना मिर्जापुर सपुर
12. मु0अ0स0 237/15 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना मिर्जापुर सपुर
13. मु0अ0स0 10/16 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना मिर्जापुर सपुर
14. मु0अ0स0 363/2017 धारा 3 यूपी गुण्डा अधि0 थाना मिर्जापुर सहारनपुर
15. मु0अ0स0 159/24 धारा 8/20 एनडीपीएसएक्ट थाना मिर्जापुरजिला सहारनपुर

अभियुक्त अलीशान उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 130/21 धारा 147/307/323325/452504/506 भादवि थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
2. मु0अ0स0 364/17 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम -

1. कार्यवाहक प्र0नि0 श्री अजय कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री भूपेश शर्मा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री सतेन्द्र शर्मा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
4. हेका0 891 अमित राठी थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
5. हेका0 669 नवीन तेवतिया थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
6. का0 2543 सोनू कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
7. का0 649 प्रशान्त राणा थाना मिर्जापुर जिलासहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 16.05.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा छेडछाड़ के मुकदमें में 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 16.05.2025 को वादी की लिखित तहरीर बावत अभियुक्त मोहर सिंह पुत्र हरनन्द निवासी ग्राम ढकदेवी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर द्वारा वादी की नाबालिग बहन के साथ छेडछाड़ करने तथा वादी द्वारा विरोध करने पर वादी के साथ मारपीट करने के सम्बन्ध में थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 154/25 धारा 115(2)/74 बीएनएस व 7/8 पोक्सो अधिनियम पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर घटना में शामिल अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा निरीक्षक श्री सिराजुद्दीन के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 16.05.25 को मुखबिर की सूचना पर थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा गस्त व चैकिंग के दौरान मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **मोहर सिंह पुत्र हरनन्द निवासी ग्राम ढकदेवी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर** को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

मोहर सिंह पुत्र हरनन्द निवासी ग्राम ढकदेवी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. अतिरिक्त निरीक्षक श्री सिराजुद्दीन थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
2. म0उ0नि0 सिमरन कमलेश थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 348 कुलदीप कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
4. का0 1220 मनीष कौशिक थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।